जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 02-06-2021

आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 232 / 2021 धारा 376 / 506 / 323/325 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता सर्वजीत यादव पुत्र राममिलन यादव निवासी भरतपुरा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त वादी की पुत्री के साथ दिनांक 14.05.2021 की रात्रि में सोते समय जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी तथा चिल्लाने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 15.05.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 02.06.2021 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री हरिकेश भारती, का0 शैलेन्द्र कुमार।

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस

अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 54/21 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट वांछित अभियुक्त नाम पता तौसीफ पुत्र आस मोहम्मद निवासी कोडर थाना कलवारी जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.02.2021 को वादी की पुत्री कोचिंग से वापस आते समय बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता के तहत आज दिनांक 02.06.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा अपहृता को बरामद करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सुनील सिंह, उ0नि0 श्री राजेश मिश्रा, हे0का0 रामभवन गुप्ता, का0 सर्वजीत यादव, म0आ0 सविता।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 21 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1495 को थाना मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत जमुहट से इवेन्ट संख्या 10926 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 05 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तिय़ों को जरिये एम्बुलेंस अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 मन्जुर हसन, मु0आ0 संतोष कुमार यादव, हो0गा0 पंकज मिश्र।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 113 वाहनो से 90000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 113 वाहनो से 90000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।